



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में पासपोर्ट पुलिस सत्यापन में क्या होता है, प्रतिकूल रिपोर्ट या कारण बताओ नोटिस पर आवेदक क्या कर सकता है, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत लंबित आपराधिक मामले पासपोर्ट जारी होने पर कैसे असर डालते हैं, और अदालतों ने क्या कहा है?”

भारत में पासपोर्ट पुलिस सत्यापन प्रक्रिया, प्रतिकूल रिपोर्ट/कारण बताओ नोटिस मिलने पर विधिक उपचार, और लंबित आपराधिक मामलों का पासपोर्ट जारी होने पर प्रभाव

सारांश

भारत में पासपोर्ट पुलिस सत्यापन (Police Verification) आवेदक की पृष्ठभूमि और नागरिकता की पुष्टि करने के लिए एक वैधानिक जांच है, लेकिन प्रतिकूल रिपोर्ट (Adverse Report) मिलने पर भी पासपोर्ट प्राधिकारी नागरिक को मनमाने ढंग से पासपोर्ट से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने *Maneka Gandhi v. Union of India* (1978) में स्थापित किया कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और पासपोर्ट रोकने या जब्त करने की किसी भी प्रक्रिया को उचित, निष्पक्ष और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यदि पासपोर्ट लंबित आपराधिक मामले के कारण रोका जाता है, तो आवेदक को सक्षम आपराधिक न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त करनी होती है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	3	2025
22 उच्च न्यायालय • 3 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Karnataka

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 लंबित प्राथमिकी (FIR) बनाम लंबित आपराधिक कार्यवाही

पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट केवल तभी रोका जा सकता है जब कोई आपराधिक मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो और अदालत ने उस पर संज्ञान (cognizance) ले लिया हो। जांच के प्रारंभिक चरण में दर्ज प्राथमिकी (FIR) या चार्जशीट दाखिल न होने को "लंबित आपराधिक मामला" नहीं माना जा सकता, जैसा कि *Rajesh Babu Karanam v. Union of India* (2023) और *Thanneru Uma Maheswari v. Union of India* (2024) में स्पष्ट किया गया है।

02 विदेश यात्रा का अधिकार और पासपोर्ट की मनमानी अवधि

विदेश यात्रा और पासपोर्ट रखने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसी आपराधिक मामले की लंबितता के दौरान पासपोर्ट प्राधिकारी बिना किसी न्यायसंगत कारण के पासपोर्ट की वैधता अवधि को मनमाने ढंग से सीमित या छोटा नहीं रख सकते, जैसा कि *Gaurav Raheja v. State of Punjab* (2024) में प्रतिपादित किया गया है।

03 प्रतिकूल पुलिस सत्यापन पर प्राधिकारी का विवेकाधिकार

प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (Adverse PVR) मिलने पर पासपोर्ट प्राधिकारी उस रिपोर्ट से आंखें मूंदकर बंधे नहीं होते हैं। प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट के तथ्यों पर विचार करना चाहिए और केवल धारा 6 में उल्लिखित विशिष्ट और कानूनी आधारों पर ही पासपोर्ट अस्वीकार करना चाहिए, जैसा कि *Savitri Sharma v. Union of India* (2024) में निर्धारित किया गया है।

04 कारण बताओ नोटिस (SCN) का विधिक उपचार

यदि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन के आधार पर कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया जाता है, तो आवेदक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह प्राधिकारी को वास्तविक विधिक स्थिति (जैसे आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति या बरी होना) स्पष्ट करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करे, ताकि सक्षम प्राधिकारी उस पर निर्णय ले सके, जैसा कि *Ram Babu v. Union Of India* (2025) में निर्देशित किया गया है।

05 पासपोर्ट को जब्त (Seize) करने और रोकने (Impound) का अंतर

आपराधिक जांच एजेंसियों (जैसे CBI) को सीआरपीसी के तहत पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार तो है, लेकिन उसे अनिश्चित काल तक रखने या संचयी रूप से 'impound' करने का अधिकार केवल पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के तहत पासपोर्ट प्राधिकारी को ही है, जैसा कि *Suresh Nanda v. C.B.I.* (2008) में तय किया गया है।

06 दिनांक 25.08.1993 की सरकारी अधिसूचना और अदालत की अनुमति

यदि कोई आपराधिक कार्यवाही अदालत के समक्ष लंबित है, तो कानूनन विधिक मार्ग यह है कि आवेदक संबंधित अदालत से यात्रा की अनुमति या एनओसी (NOC) प्राप्त करे। इस अनुमति के आधार पर केंद्रीय अधिसूचना दिनांक 25.08.1993 (GSR 570(E)) के तहत अल्पकालिक पासपोर्ट जारी किया जाता है, जैसा कि *Arjuna Charan Das v. State of Orissa* (2017) और *Petitioner v. Regional Passport Officer* (2012) में वर्णित है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण	सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(b) के तहत गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने का आरोप सिद्ध करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने जानबूझकर (knowingly) और धोखे की नीयत (mens rea) से ऐसा किया था, जैसा कि <i>Mariam Fasihuddin & Anr. v. State by Aduogodi Police Station & Anr.</i> (2024) में माना गया है।
उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ	लंबित आपराधिक मामलों में सामान्य पासपोर्ट जारी करने के बजाय उच्च न्यायालयों ने लगातार यह निर्देश दिया है कि दिनांक 25.08.1993 की अधिसूचना के आलोक में आवेदकों को एक वर्ष की अल्पकालिक वैधता वाला पासपोर्ट (short-validity passport) दिया जाना चाहिए, जैसा कि <i>Khaleel Mohammed Ameen v. Regional Office, Passport Seva Kendra</i> (2025) और <i>Ameer Hamza v. Union of India</i> (2025) के निर्णयों से स्पष्ट होता है।
हाल का विकास	पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अदालतों में मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए, हाल के निर्णयों में पुलिस अधिकारियों को एक विशिष्ट परफॉर्मल ढांचा (Standard Performa) अपनाने का निर्देश दिया गया है ताकि एफआईआर की वास्तविक स्थिति और सजा की अवधि को स्पष्ट रूप से पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जा सके, जैसा कि <i>Balwinder Singh v. Union of India</i> (2023) में रेखांकित किया गया है।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

10-वर्षीय सामान्य पासपोर्ट बनाम 1-वर्षीय अल्पकालिक पासपोर्ट का विवाद

कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया मामलों में यह द्वंद्व सामने आया है कि क्या लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति में भी नागरिक 10 वर्ष की सामान्य अवधि का पासपोर्ट प्राप्त करने के हकदार हैं या केवल 1 वर्ष की अल्पकालिक अवधि का ही पासपोर्ट दिया जा सकता है, विशेष रूप से जब अन्य समवर्ती पीठों ने सामान्य अवधि के पक्ष में निर्णय दिए हों, जिसका विवरण *Mohammad Samiulla v. State* (2025) में दर्ज किया गया है।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 6, PASSPORTS ACT, 1967 — REFUSAL OF PASSPORTS, TRAVEL DOCUMENTS, ETC.

यह प्रावधान पासपोर्ट प्राधिकारी को विशिष्ट कानूनी आधारों (जैसे लंबित आपराधिक कार्यवाही, वारंट जारी होना या नैतिक अधमता के अपराध में दो वर्ष से अधिक की सजा) पर पासपोर्ट जारी करने से मना करने की शक्ति देता है।

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (c) of sub-section (2) of section 5 on any one or more of the following grounds, and on no other ground, namely :— (a) that the applicant is not a citizen of India; (b) that the applicant may, or is likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India; (c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to, be detrimental to the security of India; (d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country; (e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, been convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years; (f) that proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a criminal court in India; (g) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court;" उद्धृत: Thanneru Uma Maheswari v. Union of India, Veeraiah Chowdary Nannapaneni v. Union of India, Mariam Fasihuddin & Anr. v. State by Adugodi Police Station & Anr., Arjuna Charan Das v. State of Orissa, Gaurav Raheja v. State of Punjab

SECTION 10, PASSPORTS ACT, 1967 — VARIATION, IMPOUNDING AND REVOCATION OF PASSPORTS AND TRAVEL DOCUMENTS

यह प्रावधान आवश्यक बनाता है कि पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट में बदलाव करने, उसे जब्त (impound) करने या रद्द करने की स्थिति में लिखित रूप में कारणों को दर्ज करे और आवेदक को इसकी प्रति प्रदान करे।

"Where the passport authority makes an order varying or cancelling the endorsements on, or varying the conditions of, a passport or travel document under sub-section (1) or an order impounding or revoking a passport or travel document under sub-section (3), it shall record in writing a brief statement of the reasons for making such order and furnish to the holder of the passport or travel document on demand a copy of the same unless in any case, the passport authority is of the opinion that it will not be in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign country or in the interests of the general public to furnish such a copy." उद्धृत: Thanneru Uma Maheswari v. Union of India, Veeraiah Chowdary Nannapaneni v. Union of India, Mariam Fasihuddin & Anr. v. State by Adugodi Police Station & Anr., Arjuna Charan Das v. State of Orissa, Gaurav Raheja v. State of Punjab

SECTION 10A, PASSPORTS ACT, 1967 — SUSPENSION OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS IN CERTAIN CASES

यह प्रावधान जनहित में पासपोर्ट को अधिकतम चार सप्ताह के लिए तुरंत निलंबित करने की शक्ति देता है, बशर्ते धारक को आठ सप्ताह के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाए।

"Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 10, if the Central Government or any designated officer is satisfied that the passport or travel document is likely to be impounded or caused to be impounded or revoked under clause (c) of sub-section (3) of section 10 and it is necessary in the public interest so to do, it or he may,-- (a) by order, suspend, with immediate effect, any passport or travel document; (b) pass such other appropriate order which may have the effect of rendering any passport or travel document invalid, for a period not exceeding four weeks: Provided that every holder of the passport or travel document, in respect of whom an order under clause (a) or clause (b) of this sub-section had been passed, shall be given an opportunity of being heard within a period of not later than eight weeks reckoned from the date of passing of such order" उद्धृत: किसी भी मुकदमे द्वारा सीधे उद्धृत नहीं किया गया।

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Rajesh Babu Karanam v. Union of India</i> APHC010507562023	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2023	केवल प्राथमिकी (FIR) होने पर पासपोर्ट रोकना गैरकानूनी है।
02	<i>Gaurav Raheja v. State of Punjab</i> PHHC011243962024	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2024	लंबित एफआईआर के कारण पासपोर्ट की वैधता अवधि घटाना अनुचित है।
03	<i>Savitri Sharma v. Union of India</i> RJHC020132852024	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2024	प्राधिकारी पुलिस की प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट से पूरी तरह बाध्य नहीं हैं।
04	<i>Balwinder Singh v. Union of India</i> PHHC010882872020	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2023	पुलिस सत्यापन में एफआईआर की स्पष्ट विधिक स्थिति बताना अनिवार्य है।
05	<i>Mohammad Akhtar v. Union of India</i> UPHC012074002022	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	दो वर्ष से कम की पुरानी सजा पासपोर्ट अस्वीकरण का आधार नहीं।
06	<i>SriKanth Goud v. Union of India</i> HBHC010165002024	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2024	लंबित आपराधिक मामलों में पासपोर्ट और विदेश यात्रा का अधिकार अक्षुण्ण है।
07	<i>Khaleel Mohammed Ameen v. Regional Office, Passport Seva Kendra</i> KAHC010005952025	HIGH COURT OF KARNATAKA	2025	लंबित आपराधिक मामले में अधिसूचना के तहत अल्पकालिक पासपोर्ट दिया जा सकता है।
08	<i>Susie Rehmer v. State</i> DLHC011463502009	HIGH COURT OF DELHI	2009	पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत तथ्य छिपाने पर दंड का प्रावधान।
09	<i>Vijay Kumar v. Union of India</i> RJHC020390202024	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2024	आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी पासपोर्ट रोकना मनमाना है।
10	<i>Maneka Gandhi v. Union of India</i> ESCR010001201978	SUPREME COURT OF INDIA	1978	विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है, उचित विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
11	<i>Katta Vishwanatham v. Union of India</i> HBHC010366742023	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2023	न्यायालय के आदेश पर एक वर्ष का अल्पकालिक पासपोर्ट जारी हो सकता है।
12	<i>Suresh Nanda v. C.B.I.</i> ESCR010007662008	SUPREME COURT OF INDIA	2008	पासपोर्ट जब्त (impound) करने का अधिकार केवल पासपोर्ट प्राधिकारी को है।
13	<i>Arjuna Charan Das v. State of Orissa</i> ODHC010446892017	ORISSA HIGH COURT	2017	आपराधिक अदालत से विदेश जाने की अनुमति मिलने पर पासपोर्ट नवीनीकरण संभव है।
14	<i>Haji Menu v. Union of India</i> RJHC010118682012	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2014	प्राधिकारी द्वारा बिना विधिक कारण आवेदन रोकना परमादेश रिट का आधार है।
15	<i>Petitioner v. Regional Passport Officer</i> HBHC010427272012	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2012	लंबित मामलों में विदेश जाने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
16	<i>Thanneru Uma Maheswari v. Union of India</i> APHC010218762024	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2024	प्राथमिकी (FIR) स्तर पर लंबित मामले में पासपोर्ट रोकने का आधार नहीं।
17	<i>Aiav Chowdary Nunna v. Union of India</i> HBHC010039572024	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2024	आपराधिक मामले लंबित होने पर भी शपथ पत्र लेकर नवीनीकरण होना चाहिए।
18	<i>A. Rajendran v. The State</i> HCMA011324312025	MADRAS HIGH COURT	2025	झूठा पुलिस सत्यापन जारी करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाना वैध है।
19	<i>Dhulipalla Rama Devi v. Union of India</i> APHC010181192024	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2024	लंबित मामलों में ट्रायल कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवश्यक है।
20	<i>Ameer Hamza v. Union of India</i> KAHC010136102025	HIGH COURT OF KARNATAKA	2025	लंबित मामलों के दौरान आवेदक एक वर्ष के अल्पकालिक पासपोर्ट का हकदार है।
21	<i>Mohammad Samiulla v. State</i> KAHC010159302025	HIGH COURT OF KARNATAKA	2025	वैवाहिक मुकदमों की लंबितता के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण को रोका नहीं जा सकता।
22	<i>Veeraiah Chowdary Nannapaneni v. Union of India</i> APHC010314672024	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2024	एफआईआर केवल जांच चरण में होने पर पासपोर्ट रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है।
23	<i>Ram Babu v. Union Of India</i> UPHC014060292025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	प्रतिकूल सत्यापन के कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना आवेदक का प्राथमिक उपचार है।
24	<i>Mandadi Ravi Kumar v. Union of India</i> APHC010384582024	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2024	जब तक आपराधिक मामला अदालत में लंबित न हो, नवीनीकरण नहीं रोका जा सकता।
25	<i>Mariam Fasihuddin & Anr. v. State by Aduodi Police Station & Anr.</i> ESCR010000482024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	धारा 12(b) के तहत अभियोजन के लिए जानबूझकर तथ्य छिपाने का इरादा आवश्यक।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Rajesh Babu Karanam v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023-10-13 • WP/26143/2023

यह मामला पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) से संबंधित है। याचिकाकर्ता का पासपोर्ट केवल इसलिए नवीनीकृत नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज था। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Passports Act, 1967 की Section 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट तभी रोका जा सकता है जब किसी सक्षम न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो। अदालत ने माना कि केवल FIR दर्ज होना या charge sheet दायर न होना 'pending criminal proceedings' की श्रेणी में नहीं आता है। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, तो केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा जाना चाहिए।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के अंतर्गत 'आपराधिक कार्यवाही लंबित' केवल तभी मानी जा सकती है जब अदालत ने उसका आधिकारिक संज्ञान ले लिया हो। जब तक जांच पूरी न हो और चार्जशीट दाखिल न हो, तब तक केवल एफआईआर को आधार बनाकर पासपोर्ट रोकने का कोई विधिक अधिकार प्राधिकारी को नहीं है।

“Section 6(2) (f) relates to a situation where the applicant is facing trail in a criminal court. Section 6(2)(f) of the Passport Act, 1967, has been Considered on several occasions by the Hon'ble Apex Court and High Courts. The Hon'ble Supreme Court as well as various High Courts held that, mere pendency of a First Information Report cannot be the legal basis only after cognizance is taken by an appropriate Court that it can be held that criminal proceedings have commenced and issuance or renewal of the passport would depend on no objection being given by the concerned court.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023

स्रोत APHC010507562023

02 Gaurav Raheja v. State of Punjab

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024-12-18 • CRM-M/46844/2024

यह मामला पासपोर्ट नवीनीकरण के अधिकार से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जिसके खिलाफ Section 406 और 498-A IPC के तहत FIR लंबित है, अपने पासपोर्ट को 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत करवाना चाहता था, जिसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि भारत के संविधान के Article 21 के तहत विदेश यात्रा करना एक मौलिक अधिकार है और केवल एक आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट की वैधता को मनमाने ढंग से कम करना उचित नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passport Act, 1967 और संबंधित नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बिना ठोस कारण के पासपोर्ट की अवधि को 1 वर्ष तक सीमित करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट की अवधि को बार-बार छोटा रखना अनावश्यक मुकदमेबाजी और संसाधनों की बर्बादी है। तदनुसार, न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार पासपोर्ट नवीनीकरण करने का निर्देश दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में प्रतिकूल तथ्य मिलते हैं, तो आवेदक को धारा 12 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय में मामला दर्ज होने और संज्ञान लिए जाने के बाद ही धारा 6(2)(f) लागू होगी, केवल जांच के अधीन एफआईआर पर नहीं।

"If an undertaking is incomp applicant is found to have suppre cases against the applicant, a S issued to the applicant and ac applicant as pe r provisions of Sec 1967. If information that an appli by making a false submission or comes to light after the passport may be impounded or revoked as (b) of the Passports Act, 196 procedure. (v) In case where the first police secondary police verification m secondary PV is gener ated, it s detailed letter seeking clarifica criminal cases against the applic cases. Apart from generating s officers may, if considered neces through the police authorities submitted by the applicant or eve government agencies/departmen (vi) In case where the seconda 'Adverse', it may be examined wh in the police report match the u applicant. It may be noted that under investigation do not come u (2) (f) and that criminal proceedin pending against an applicant if the court has taken cognizance of the same."

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024

स्रोत PHHC011243962024

03 Savitri Sharma v. Union of India

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-11-14 • CW/2602/2024

याचिकाकर्ता ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) के लिए आवेदन किया था, जिसे पासपोर्ट कार्यालय ने एक प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की राष्ट्रीयता पर संदेह जताया गया था और उन्हें नेपाली बताया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और शैक्षणिक दस्तावेज जैसे पर्याप्त सबूत हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि वह भारत की नागरिक हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Citizenship Act, 1955 के तहत याचिकाकर्ता जन्म से भारतीय नागरिक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि Article 21 के तहत विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे बिना किसी ठोस आधार के पासपोर्ट न देकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने प्रतिवादियों को पासपोर्ट नवीनीकृत करने का निर्देश दिया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पासपोर्ट प्राधिकारी केवल प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से बंधे नहीं हैं। प्राधिकारी को उस रिपोर्ट में निहित तथ्यों पर अपना स्वतंत्र दिमाग लगाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या धारा 6 के प्रावधानों के तहत कोई वास्तविक अयोग्यता बनती है या नहीं।

"Adverse Police Verification report per se does not dis -entitle a citizen from his legal right to have a passport. It is for the Passport Authority to take into consideration the facts/antecedents of the person, who has applied for issuance of a Passport, alleged in the verification report, for deciding whether passport should be issued to him or refused. The passport authority is not bo und by the adverse police verification report."

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC020132852024

04 Balwinder Singh v. Union of India

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2023-09-13 • CWP/19314/2020

यह याचिका पासपोर्ट जारी करने के संबंध में है, जिसे पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके विरुद्ध मामला Passport Act, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि पुलिस ने अभी तक Section 173 of the Cr.P.C. के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। न्यायालय ने प्रतिवादियों के इस बयान को दर्ज करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि यदि याचिकाकर्ता नया आवेदन करता है, तो उस पर कानून के अनुसार छह सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक Performa का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पासपोर्ट के आवेदनों के अनावश्यक लंबित रहने की समस्याओं को कम किया जा सके।

निर्णय अदालत ने पाया कि पुलिस अक्सर अपूर्ण जानकारी के साथ 'प्रतिकूल रिपोर्ट' भेजती है जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है। इसे सुधारने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को एक मानक प्रोफार्मा (Performa) के माध्यम से मामला कोर्ट में संज्ञान स्तर पर है या केवल एफआईआर स्तर पर है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए।

“The passport authorities are denying passport on account of adverse police verification report. It has been noticed that police officials are sending incomplete report which is root cause of denial of passport. The police officials are casually disclosing that an FIR is pending against the applicant. They do not disclose actual status of the FIR. After notice of motion to passport authority as well as State, it comes out that police either has already filed cancellation report or police report under Section 173 of Cr.P.C. has not been filed or applicant has already been convicted.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2023

स्रोत PHHC010882872020

05 Mohammad Akhtar v. Union of India

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-02-21 • WRIC/32518/2022

याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्देश देने हेतु यह रिट याचिका दायर की थी। प्रतिवादी अधिकारियों ने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन पर Section 294 I.P.C. के तहत एक आपराधिक मामले का उल्लेख था। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को सात वर्ष पूर्व केवल 400 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने माना कि Passport Act, 1967 के Section 6(2)(e) के तहत पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने के लिए आवश्यक शर्तें यहाँ पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि सजा दो वर्ष से कम थी और यह घटना पाँच वर्ष से अधिक पुरानी है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को कानून के अनुसार पासपोर्ट आवेदन संसाधित करने का निर्देश दिया और याचिका स्वीकार कर ली।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 6(2)(e) के तहत केवल वे सजाएं पासपोर्ट को रोकने का आधार बन सकती हैं जो आवेदन से पिछले 5 वर्षों में हुई हों और जिनमें कम से कम 2 वर्ष की जेल हुई हो। यदि आवेदक को केवल 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, तो कारण बताओ नोटिस गैरकानूनी और रद्द करने योग्य है।

“Thus, in view of specific provisions of Clause (e) of sub Section 2 of Section 6 of the Passport Act, 1967 the show cause notice allegedly issued by the respondent no.2, is wholly illegal and totally unsustainable in view of the fact that the petitioner was convicted with fine of Rs.400/-, about 7 years before the submission of the application for passport on 31.08.2022.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC012074002022

06 SriKanth Goud v. Union of India

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024-04-02 • WP/8492/2024

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर रिट याचिका दायर की थी कि पासपोर्ट अधिकारी द्वारा लंबित आपराधिक मामले (Section 304(A) of the IPC) का हवाला देकर नए पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार करना अवैध है। न्यायालय ने पूर्व में दिए गए अपने अन्य निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक मामले का लंबित होना पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय ने पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल किसी मामले की लंबितता पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोकने का आधार नहीं है। न्यायालय ने *Menaka Gandhi* और *Vangala Kasturi Rangacharyulu* का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि विदेश जाने और पासपोर्ट रखने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

“This court opines that pendency of criminal case against the petitioner cannot be a ground to deny issuance of Passport to the petitioner and the right to personal liberty would include not only the right to travel abroad but also the right to possess a Passport. ... Respondents cannot refuse the renewal of passport of the petitioner on the ground of the pendency of the aforesaid criminal case against the petitioner and the said action of the respondents is contrary to the procedure laid down under the passports Act, 1967”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024

स्रोत HBHC010165002024

07 Khaleel Mohammed Ameen v. Regional Office, Passport Seva Kendra

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025-04-09 • WP/478/2025

याचिकाकर्ता ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके खिलाफ एक लंबित आपराधिक मामले (Sections 498A, 342, 506 IPC) के कारण प्रक्रिया में बाधा आ रही थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक मामले का मतलब यह नहीं है कि पासपोर्ट पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाए। न्यायालय ने Passports Act, 1967 के प्रावधानों और पिछली मिसालों का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करना चाहिए। यदि मामला केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने का है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण को notification dated 25.08.1993 के तहत एक 'short validity passport' जारी करना चाहिए।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक मामलों के तहत पासपोर्ट नवीनीकरण को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। प्राधिकारियों को 25 अगस्त 1993 की केंद्रीय अधिसूचना के तहत अल्पकालिक पासपोर्ट (short validity passport) जारी करना चाहिए, जिसमें आवेदक को संबंधित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

“Whether pendency of a criminal case would bar issuance or renewal/re-issuance of a passport to a citizen of this nation? ... merely because a criminal case is pending, the passport of the petitioner cannot be denied to be re-issued.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025

स्रोत KAHC010005952025

08 Susie Rehmer v. State

HIGH COURT OF DELHI • 2009-12-21 • W.P.(CRL)/1304/2009

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने पासपोर्ट से पन्ने गायब होने के कारण दर्ज FIR को रद्द करने की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर Section 12 of the Passport Act, 1967 के तहत आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पन्नों के गायब होने में कोई जानबूझकर किया गया बदलाव शामिल नहीं था और जांच में देरी Section 167(5) of the Code of Criminal Procedure के प्रावधानों का उल्लंघन है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के विधिक ढांचे को उद्धृत किया जो पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी देने, भौतिक तथ्यों को छिपाने या बिना कानूनी अधिकार के पासपोर्ट प्रविष्टियों में बदलाव करने को दंडनीय अपराध बनाता है।

“As regards to section 12 of the Passport Act, it deals with offences and penalties. It would be pertinent to reproduce the same as below: “Offences and penalties. 12. Offences and penalties. (1) Whoever— (a) contravenes the provisions of section 3; or (b) knowingly furnishes any false information or suppresses any material information with a view to obtaining a passport or travel document under this Act...”

HIGH COURT OF DELHI • 2009

स्रोत DLHC011463502009

09 Vijay Kumar v. Union of India

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-08-05 • CW/7501/2024

याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट जारी करने में अधिकारियों द्वारा की जा रही देरी को चुनौती दी थी। अधिकारियों ने एक पुरानी FIR (No. 386/2003) के लंबित होने के आधार पर प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि संबंधित आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को पहले ही बरी किया जा चुका था, हालांकि अदालत का रिकॉर्ड नष्ट हो जाने के कारण उसकी प्रति उपलब्ध नहीं थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passports Act, 1967 की धारा 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट केवल तब रोका जा सकता है जब कोई आपराधिक मामला वास्तव में लंबित हो। चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, न्यायालय ने इसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना और अधिकारियों को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पूर्व के ऐसे मामले जिनमें आवेदक बरी हो चुका है, उन्हें 'लंबित आपराधिक मामला' मानकर पासपोर्ट रोकना मनमाना, अवैध और अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन है। धारा 6(2)(f) केवल उन मामलों पर लागू होती है जो वर्तमान में सक्रिय रूप से अदालत में लंबित हों।

“Therefore, in such peculiar facts and circumstances the adverse police verification report given against petitioner for pendency of a criminal case, on the basis of registering FIR No.386/2003, is perverse, rather nothing has come on record about pendency of any criminal case against the petitioner, pertaining to offence of moral turpitude, therefore, the bar envisaged under Section 6 (2)(e) and (f) of The Passports Act, 1967 does not apply against the petitioner.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC020390202024

10 Maneka Gandhi v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 1978-01-25 • 1978 INSC 16

यह ऐतिहासिक मामला इस प्रश्न पर केंद्रित था कि क्या विदेश जाने का अधिकार संविधान के Article 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' (personal liberty) का हिस्सा है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Article 21, Article 19 और Article 14 आपस में जुड़े हुए हैं और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया केवल मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passport Act, 1967 के तहत पासपोर्ट जप्त करने की प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का पालन करना होगा और किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों को एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग-अलग हिस्सों के रूप में।

निर्णय इस ऐतिहासिक फैसले में, सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' में शामिल है। सरकार को बिना निष्पक्ष सुनवाई और वैध तार्किक कारणों के किसी भी नागरिक का पासपोर्ट जप्त करने का अधिकार नहीं है।

“In Satwant Singh's case, this Court held by a majority that the expression 'personal liberty' in Article 21 takes in, the right of locomotion and travel abroad and under Art. 21 no person can be deprived of his right to go abroad except according to the procedure established by law. ... obvious, procedure cannot be arbitrary, unfair or unreasonable.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1978

स्रोत ESCR010001201978

11 Katta Vishwanatham v. Union of India

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023-08-03 • WP/20595/2023

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये मामले केवल नागरिक प्रकृति के थे और पासपोर्ट आवेदन में जानकारी का न देना अनजाने में हुई गलती थी। न्यायालय ने कहा कि केवल लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों और विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता से आवश्यक वचन-पत्र (undertaking) प्राप्त करने के बाद एक वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी करे।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन और 25.08.1993 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों की लंबितता के बावजूद, आवेदक वचन-पत्र जमा करके और सक्षम अदालत से आदेश प्राप्त कर अल्पकालिक पासपोर्ट (1 वर्ष की अवधि) का हकदार है।

“GSR 570(E) dated 25.08.1993 was introduced to give relief to such applicants against whom criminal proceedings are pending before any Court of law in India but who may need to travel abroad for some urgent business. With an undertaking under GSR 570(E) and an order from the Court, an applicant could be issued a short validity passport of one year validity or for the period specified by the Court.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023

स्रोत HBHC010366742023

12 Suresh Nanda v. C.B.I.

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-01-24 • 2008 INSC 98

यह मामला पासपोर्ट के अधिकार और उसे ज़ब्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यद्यपि पुलिस के पास Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत पासपोर्ट ज़ब्त (seize) करने का अधिकार है, लेकिन उनके पास उसे अपने पास रखने (impound) का अधिकार नहीं है। पासपोर्ट को ज़ब्त करने या उसे रोके रखने का विशेष अधिकार केवल Passport Act, 1967 के तहत 'passport authority' के पास है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस पासपोर्ट ज़ब्त करती है, तो उसे पासपोर्ट अथॉरिटी को भेजना होगा, जो उचित प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर देने के बाद ही उसे impound करने का निर्णय ले सकती है। अतः, CBI द्वारा पासपोर्ट को अनिश्चित काल तक रोकना अवैध माना गया।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'जब्त करने' (seizure) और 'पासपोर्ट रोकने/रोके रखने' (impounding) में विधिक अंतर है। पुलिस के पास सीआरपीसी की धारा 102 के तहत पासपोर्ट ज़ब्त करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट रोकने (impound) की विशेष शक्ति केवल पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3)(e) के तहत पासपोर्ट प्राधिकारी के पास सुरक्षित है।

“Police may have power to seize a passport, it does not have power to retain or impound the same because that can only be done by passport authority u/s 10(3) of the Passport Act - If police seizes a passport u/s 102 of Code, it must send the same along with a letter to passport authority stating as to why seized passport deserves to be impounded u/s 10 of Passport Act”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010007662008

13 Arjuna Charan Das v. State of Orissa

ORISSA HIGH COURT • 2017-02-20 • CRLREV/23/2017

यह मामला पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनुमति मांगने से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो एक IT प्रोफेशनल है, के खिलाफ matrimonial dispute से संबंधित एक आपराधिक मामला लंबित था। निचली अदालत ने यह आशंका जताते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता फरार हो सकता है। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही anticipatory bail पर है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की आशंका निराधार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passport Act, 1967 और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति संबंधित अदालत से प्राप्त करने पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। तदनुसार, निचली अदालत को याचिका पर कानून के अनुसार दोबारा विचार करने का निर्देश दिया गया।

निर्णय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 25.08.1993 की अधिसूचना के खंडों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक मामले वाले नागरिकों को सक्षम अदालत द्वारा विदेश जाने की अनुमति दिए जाने पर, उसके अनुरूप अल्पकालिक पासपोर्ट (1 वर्ष या अदालत द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए) जारी किया जाना चाहिए।

“exempted citizens of India against whom 5 proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by them are pending before a criminal Court in India, from the operation of the provisions of Clause (f) of sub-section (2) of section 6 of the said Act, if they produce orders from concerned Court permitting them to depart from India subject to certain conditions...”

ORISSA HIGH COURT • 2017

स्रोत ODHC010446892017

14 Haji Menu v. Union of India

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2014-02-07 • CW/210/2012

याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट जारी करने में अधिकारियों की देरी और निष्क्रियता के खिलाफ न्यायालय का रुख किया था। अधिकारियों का तर्क था कि याचिकाकर्ता का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और उन्हें पासपोर्ट जारी करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि संबंधित आपराधिक 'History Sheet' को पहले ही रद्द किया जा चुका है और पासपोर्ट अधिनियम (Passports Act, 1967) की धारा 6 के तहत पासपोर्ट अस्वीकार करने के कोई वैध आधार मौजूद नहीं थे। न्यायालय ने माना कि अधिकारियों ने बिना किसी ठोस कारण के आवेदन को लंबे समय तक लंबित रखा। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को पासपोर्ट के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनः विचार करने और कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण एक सार्वजनिक निकाय है और यदि वह अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में बिना किसी ठोस कानूनी आधार के विलंब करता है, तो उसके विरुद्ध परमादेश (Mandamus) की रिट जारी की जा सकती है ताकि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो।

“Admittedly, passport authority is a public authority which has failed to perform its statutory duty in dealing with the application of the petitioner for issuance of passport, the contention of the second respondent, that mandamus cannot be issued in the instant case, falls flat and the same is hereby overruled.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2014

स्रोत RJHC010118682012

15 Petitioner v. Regional Passport Officer

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2012-09-25 • WP/27866/2012

याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में पासपोर्ट जारी न किए जाने और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ राहत मांगी थी। न्यायालय ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए Section 6(2)(f) of the Passport Act, 1920 के तहत पासपोर्ट जारी करने में बाधा आ सकती है। न्यायालय ने भारत सरकार की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना और संबंधित न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार दो महीने के भीतर इस आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब धारा 6(2)(f) लागू होती है, तो प्राधिकारी को तत्काल आवेदक को सूचित करना चाहिए कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क कर 25.08.1993 की अधिसूचना के आलोक में विदेश यात्रा की अनुमति का आदेश प्राप्त करे।

“In all cases covered by Section 6(2)(f) of the Passport Act, the passport authority shall forthwith inform the applicant about his right to apply to the concerned Criminal Court for permission to travel abroad in terms of the notification dated 15 th August, 1993... If any such application is made before the concerned Magistrate, the Magistrate may decide the same in accordance with law and expeditiously”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2012

स्रोत HBHC010427272012

16 Thanneru Uma Maheswari v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024-07-26 • WP/12031/2024

यह मामला पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) को लेकर था, जिसे प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले (Criminal Case) के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उनके खिलाफ मामला अभी केवल F.I.R. चरण में है, इसलिए Passports Act, 1967 के तहत पासपोर्ट रोकने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने यह माना कि विदेश यात्रा का अधिकार Article 21 के तहत एक महत्वपूर्ण मानवीय अधिकार है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक कोई दोषसिद्धि (conviction) न हो, याचिकाकर्ता को पासपोर्ट से वंचित नहीं किया जा सकता। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित F.I.R. का हवाला दिए बिना याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण के आवेदन पर विचार करें।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि जब आपराधिक शिकायत केवल एफआईआर स्तर पर है, तो न तो प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट और न ही कारण बताओ नोटिस विधिक रूप से धारक को पासपोर्ट नवीनीकरण से रोक सकते हैं, क्योंकि मुकदमा अभी न्यायालय के समक्ष औपचारिक रूप से लंबित नहीं है।

“But, neither the Police Verification Report nor the Show-cause Notice are reflecting the criminal cases pending which resulted in the Adverse/Negative Police Verification Report... the said crime was still in the FIR stage... As such, Section 6 or Section 10 of the Passports Act, 1967 will not apply to the petitioner in the present case.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024

स्रोत APHC010218762024

17 Aiaav Chowdary Nunna v. Union of India

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024-01-30 • WP/2051/2024

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग की थी कि पासपोर्ट कार्यालय ने लंबित आपराधिक मामले (C.C. No. 845 of 2019) का हवाला देकर इसे रोक दिया था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामले के संदर्भ के बिना पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन पर विचार करें। यह निर्देश कुछ शर्तों के अधीन दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में शपथ पत्र जमा करना शामिल है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला लंबित होने के कारण पासपोर्ट रोकने के बजाय, आवेदक से ट्रायल कोर्ट में यह वचन-पत्र लेना पर्याप्त है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

“Respondents cannot refuse the renewal of passport of the petitioner on the ground of the pendency of the aforesaid criminal case against the petitioner... Apex Court held that Passport Authority cannot refuse renewal of the passport on the ground of pendency of the criminal appeal.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024

स्रोत HBHC010039572024

18 A. Rajendran v. The State

MADRAS HIGH COURT • 2025-08-05 • CRL RC/1050/2025

यह मामला एक पुलिस अधिकारी द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में धांधली करके एक श्रीलंकाई नागरिक को अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट दिलवाने के आरोपों से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो उस समय पुलिस इंस्पेक्टर थे, ने आरोप लगाया कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई थी और उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन 'good faith' में किया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passport Act के तहत सरकार ने अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्तियाँ राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित की थीं, इसलिए पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई मंजूरी वैध है।

निर्णय इस निर्णय में पासपोर्ट पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण चरणों की विस्तृत चर्चा की गई है (जैसे फील्ड सत्यापन, क्षेत्राधिकार पुलिस थाने द्वारा छह विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर और नोडल अधिकारी की मंजूरी)। इसके अतिरिक्त, जानबूझकर गलत सत्यापन रिपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों के अभियोजन के लिए धारा 15 की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य माना गया।

“In the second stage, the jurisdictional police station has to verify the details submitted by the field verification officer and answer six questions... previous sanction is necessary to prosecute the accused under passport act.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMA011324312025

19 Dhulipalla Rama Devi v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024-07-01 • WP/9241/2024

यह याचिका पासपोर्ट आवेदन को संसाधित करने से इनकार करने के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अधिकारियों ने याची के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला दिया था। न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए उसी उच्च न्यायालय द्वारा W.P. No. 1392 of 2023 और अन्य मामलों में दिए गए पूर्ववर्ती आदेशों का उल्लेख किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है। याची को संबंधित न्यायालय से अनुमति या 'No Objection Certificate' प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया। यदि याची संबंधित न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर लेता है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण को Passport Act, 1967 की Section 6(2)(f) और 1993 की अधिसूचना के अनुसार आवेदन पर विचार करना होगा।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक मामले की स्थिति में, पासपोर्ट प्राधिकारी आवेदक को संबंधित सक्षम न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या विदेश यात्रा का आदेश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, जिसके बाद 1993 की अधिसूचना के तहत निर्णय लिया जाना चाहिए।

“if any criminal case is pending for trial, the passport shall not be renewed unless the applicant produces an order from the concerned court where the criminal case is pending, granting permission to depart, as provided by the notification dated 25.08.1993.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024

स्रोत APHC010181192024

20 Ameer Hamza v. Union of India

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025-03-19 • WP/6444/2025

यह याचिका पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने के विरुद्ध दायर की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित थे। न्यायालय ने Passports Act, 1967 के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि यद्यपि आपराधिक मामले लंबित होने पर सामान्य वैधता वाला पासपोर्ट जारी करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने से पूरी तरह से वंचित नहीं करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता 'Short-Validity Passport' (कम अवधि वाला पासपोर्ट) पाने का हकदार है। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को यात्रा करने के लिए एक वर्ष की सीमित अवधि का पासपोर्ट जारी करें।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि लंबित आपराधिक मुकदमे की स्थिति में सामान्य रूप से 10-वर्षीय पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन नागरिक पूरी तरह से पासपोर्ट के अधिकार से वंचित नहीं है और वह एक वर्ष की सीमित अवधि के 'Short-Validity Passport' का विधिक हकदार है।

“merely because a criminal case is pending, the passport of the petitioner cannot be denied to be re-issued. ... Court has clarified that in such cases the petitioner is entitled to a Short-Validity Passport.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025

स्रोत KAHC010136182025

21 Mohammad Samiulla v. State

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025-04-07 • WP/7538/2025

यह मामला पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट अधिकारी को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण का निर्देश देने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी, ताकि वह विदेश यात्रा कर सके। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला (C.C. No. 3952/2023) लंबित है, इसलिए उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पूर्व के न्यायिक निर्णयों और Passports Act, 1967 के प्रावधानों पर विचार करते हुए यह माना कि केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर ही पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और पासपोर्ट जारी करने के लिए उचित निर्देश दिए।

निर्णय न्यायालय ने कानून के इस सिद्धांत को मजबूत किया कि केवल वैवाहिक या किसी अन्य आपराधिक विवाद (C.C. No. 3952/2023) के लंबित होने पर पासपोर्ट जारी करने को पूरी तरह रोकना नागरिकों के मौलिक यात्रा अधिकारों को बाधित करना है और प्राधिकारी को आवेदन पर सकारात्मक आदेश पारित करना चाहिए।

“pendency of a criminal case cannot come in the way of re-issuance of passport to a citizen. ... merely because a criminal case is pending, the passport of the petitioner cannot be denied to be re-issued.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025

स्रोत KAHC010159302025

22 Veeraiah Chowdary Nannapaneni v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024-07-25 • WP/15849/2024

यह याचिका पासपोर्ट नवीनीकरण से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसे पासपोर्ट अधिकारियों ने यह कहते हुए रोक दिया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि FIR केवल प्रारंभिक चरण में है और पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने माना कि केवल FIR के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण को रोकना सही नहीं है, क्योंकि कानून एक आरोपी को निर्दोष मानता है और विदेश यात्रा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवीय अधिकार है। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उस FIR का हवाला दिए बिना याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें और यदि आवेदन अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो उसे पासपोर्ट जारी करें।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक मुकदमा केवल प्राथमिकी (FIR) के प्रारंभिक चरण में होने पर धारा 6(2)(f) का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस स्तर पर पासपोर्ट को रोकना व्यक्ति के मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्पष्ट हनन है।

“It appears that the impugned notice was issued ... on the premise that the petitioner herein is involved in a serious Criminal Case and he obtained a passport by suppressing the same. But, the fact remains that the said crime was still in the FIR stage ... Section 6(2) of the Act, extracted above is relevant for this purpose.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024

स्रोत APHC010314672024

23 Ram Babu v. Union Of India

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-09-21 • WRIC/28504/2025

यह याचिका पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार करने के संबंध में जारी 11.06.2025 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने पाया कि उक्त आदेश वास्तव में एक show cause notice था, जिसमें प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि दोनों मामलों में final reports दाखिल की जा चुकी हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि यदि final reports स्वीकार कर ली गई हैं, तो वह संबंधित show cause notice का जवाब Passport Authority को दे, ताकि प्राधिकरण उचित निर्णय ले सके। इस निर्देश के साथ न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि जब पासपोर्ट विभाग प्रतिकूल पुलिस सत्यापन के बाद स्पष्टीकरण मांगने हेतु कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करता है, तो आवेदक को सीधे न्यायालय आने के बजाय पहले उस नोटिस का उचित विधिक उत्तर देकर अपना पक्ष प्राधिकारी के समक्ष रखना चाहिए।

“In fact, it is a show cause notice issued to the petitioner seeking his clarification in respect of adverse police verification report ... In case, final reports have been submitted and the same have been accepted, we leave it open to the petitioner to respond to the show cause notice so that appropriate decision is taken by the Passport Authority.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC014060292025

24 Mandadi Ravi Kumar v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024-09-24 • WP/19587/2024

यह मामला याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण से संबंधित है, जिसे प्रतिवादी ने उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था। न्यायालय ने माना कि केवल FIR चरण में लंबित आपराधिक मामले पासपोर्ट नवीनीकरण को रोकने का आधार नहीं हो सकते, क्योंकि कानून के तहत किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक दोष सिद्ध न हो जाए। उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का हवाला देते हुए, विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को लंबित आपराधिक मामलों का संदर्भ दिए बिना याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने पाया कि पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों में अक्सर आपराधिक मामलों का कोई विशिष्ट विवरण नहीं होता है। न्यायालय ने पुनः इस सिद्धांत को स्पष्ट किया कि प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने मात्र को मुकदमा लंबित होना नहीं कहा जा सकता।

“But, neither the Police verification Report nor the Show-cause notice are reflecting the Criminal cases pending against the petitioner. ... the said crimes were still in the FIR stage and the same were registered under Sections 427, 379, 506...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2024

स्रोत APHC010384582024

25 Mariam Fasihuddin & Anr. v. State by Adugodi Police Station & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-01-22 • 2024 INSC 49

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है जहाँ पति (Respondent No. 2) ने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके पिता (Appellants) ने उनके नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए उनके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए। Supreme Court of India ने माना कि इस कार्य में न तो किसी को धोखा देने (cheating) का इरादा था और न ही किसी को कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया। अदालत ने रेखांकित किया कि Section 420 IPC के लिए 'dishonest intention' और 'deceit' अनिवार्य हैं, जो यहाँ अनुपस्थित थे। साथ ही, court ने Section 173(8) Cr.P.C. के तहत 'further investigation' की प्रक्रिया को गलत माना क्योंकि इसमें कोई नया सबूत नहीं जुटाया गया था। निष्कर्षतः, अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जानबूझकर तथ्य छिपाने के आरोपों (धारा 12(b) पासपोर्ट अधिनियम) के तहत कार्रवाई के लिए आवेदक के मन में 'धोखाधड़ी का जानबूझकर इरादा' (knowing intent) साबित होना आवश्यक है।

“Section 12(b) categorically states that, whoever knowingly furnishes any false information or suppresses any material information, with a view to obtaining a passport or travel document... what must be established is that the accused knowingly furnished false information or suppressed material information with the intent of obtaining a passport...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010000482024

अ स्वीक र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।